राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2016 के साक्षात्कार हेतु भरे जाने वाले विस्तृत आवेदन पत्र की पूर्ति करने एवं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में जारी आवश्यक दिशा–निर्देशः–

1. आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी विज्ञप्ति दिनांक 27.06.2017 के अनुसार सेवा प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाईन ही भरने हैं। सेवा प्राथमिकता क्रम भर देने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
2. अराजपत्रित कर्मचारी (NGE) श्रेणी के अंतर्गत आवेदित अभ्यर्थी (NGE) के सेवा प्राथमिकता क्रम की पूर्ति भी आवश्यक रूप से करें।
3. विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फॉर्म दो प्रतियों में तथा संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज एक प्रति में प्रस्तुत करें।
4. विस्तृत आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति करते हुए रू.50/– का भा.पो.ऑ. बतौर शुल्क के रूप में संलग्न किया जाना है। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन पत्र का कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें तथा कॉलम में उल्लेखित जानकारी के अनुसार दस्तावेज भी संलग्न करें। यदि कोई कॉलम लागू नहीं हो तो "लागू नहीं" अंकित करें।
5. विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रतियां, जाति प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी है। अभ्यर्थी यदि सेवारत हो तो अनुभव प्रमाण पत्र /एन.ओ.सी. की फोटो प्रति अवश्य संलग्न करें।
6. ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी हुई केटेगरी ही विस्तृत आवेदन पत्र में उल्लेखित करें।
7. धौलपुर एवं भरतपुर जिले की जाट जाति के अभ्यर्थियों ने यदि ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा। इस जाति के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय रू. 100/– का भा.पो.ऑ. अतिरिक्त शुल्क के रूप में साथ लाना होगा।
8. अराजपत्रित कर्मचारी एवं विभागीय कर्मचारी श्रेणी के अभ्यर्थी उनकी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान समय तक कार्यरत होने/पद पर होने का स्पष्ट अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. टी.एस.पी. क्षेत्र के अभ्यर्थी दिनांक 01.07.2016 के बाद जारी टी.एस.पी. का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. भूतपूर्व सैनिक (EX) श्रेणी के अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ एक्स–सर्विसमेन की डायरी एवं पेंशन/पीपीओ कार्ड संलग्न करें। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्त रहे कार्मिक ग्रेज्युटी प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करें । इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि सेवारत हैं तो सम्बन्धित विभाग से जारी अनुभव प्रमाण पत्र/एन.ओ.सी. भी संलग्न करें।

11. स्पॉर्ट्समेन (SP) श्रेणी के अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ खेल प्रमाण पत्रों की प्रतियां भी संलग्न करें।

12. परित्यक्ता महिला (DV) श्रेणी की अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ तलाक की डिक्री एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र (मूल) अवश्य संलग्न करें।

13. विधवा महिला (WD) श्रेणी की अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ उसके पति की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेज जिसमें पति – पत्नी होने का उल्लेख हो की प्रति एवं
पुर्नविवाह नही किये जाने का मूल शपथ–पत्र संलग्न करें।

14. जिन अभ्यर्थियों ने SBC वर्ग में आवेदन किया है उन्हे OBC वर्ग मे परिगणित किया जायेगा अतः वे अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय OBC का नवीनतम जारी प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें।

15. एस.सी/एस.टी/ओबीसी/एसबीसी/श्रेणी के अभ्यर्थियों का राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा न कि पति के नाम का।

16. अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र माह अगस्त – 2016 अथवा इसके पश्चात् जारी किये हुये मान्य होंगे। अगस्त 2014 से अगस्त 2016 तक जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र क्रीमिलेयर में नहीं होने का सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर मान्य होंगे।

****